विविध बैंक प्रकरण सं. 18/2020 (RCMS 2020/00064) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नई कृषि मंडी, श्रीगंगानगर (राज.) जरिये श्री जसबीर सिंह मीलू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1 श्री अनुज कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार निवासी मकान नं. 10, गणपति नगर, गली नं 02, श्रीगंगानगर

18.03.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित थे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में दिनांक 11.03.2020 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी अनुज कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/– लाख रूपये 08.12.2011 को, 5.00 लाख रूपये 16.12.2011 को एवं 5.00/– लाख रूपये 26.03.2014 को इस प्रकार कुम 20.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अनुज कुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट मुरब्बा नं. 27/29(क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), किल्ला नं. 8, चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 20.07.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 20.07.2019 को खाता संख्या 194000NC00052488 में 7,38,332/– खाता संख्या 1940009900000222 में 5,16,858/– एवं खाता संख्या 194000NB00000121 में 20,538/– कुल 12,75,728/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 23.07.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया जिसकी रसीद एवं पावती के ऑनलाईन ट्रैक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी अनुज कुमार के स्वयं के हस्ताक्षर है इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी अनुज कुमार द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पति प्लॉट मुरब्बा नं. 27/29(क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), किल्ला नं. 8, चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी अनुज कुमार को दिनांक 08.12.2011 को 10.00/— लाख रूपये, दिनांक 16.12.2011 को 5.00 लाख रूपये एवं दिनांक 26.03.2014 को 5.00 लाख रूपये कुल 20.00/— (अखरे रूपये बीसः लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अनुज कुमार की उक्त अचल सम्पति प्लॉट मुरब्बा नं. 27/29(क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), किल्ला नं. 8, चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **20.07.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.07.2019 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** है, जिसको भिजवाने की रसीद एवं पावती के परिणामस्वरूप ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी ऋणी अनुज कुमार के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिनकी प्रति भी पत्रावली मे उपलब्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति प्लॉट मुरब्बा नं. 27/29(क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), किल्ला नं. 8, चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, श्रीगंगानगर **जो ऋणी अनुज कुमार के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है,** का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 23.07.2019 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 23.07.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी अनुज कुमार को रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है, परिणास्वरूप पोस्ट ऑफिस की नोटिस भिजवाने की रसीद एवं पावती के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी ऋणी अनुज कुमार के स्वयं के हस्ताक्षर है, की प्रति पेश की है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणी को नोटिस की तामील हो चुकी है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अनुज कुमार की अचल सम्पत्ति अचल सम्पति प्लॉट मुरब्बा नं. 27/29(क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), किल्ला नं. 8, चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी अनुज कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पति प्लॉट मुरब्बा नं. 27/29(क्षेत्रफल 30' गुणा 70'), किल्ला नं. 8, चक 3 ई छोटी, गली नं. 07, श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर